



न्यायालय में याचिकाएँ



न्यायालय में याचिकाएँ

सर्वोच्च न्यायालय की याचिका औपचारिक रूप से न्यायालय के आदेश का अनुरोध करने वाला एक कानूनी दस्तावेज़ है।

अतिरिक्त सांविधानिक याचिकाएँ

- **समीक्षा याचिका:** सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है
 - "पेटेंट ट्रुटि" को ठीक कर सकते हैं, न कि "असंगत आयात (inconsequential import) की छोटी गलतियों" को
 - समीक्षा किसी भी तरह से छद्म अपील नहीं है।

न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 137): न्यायालय सरकार के किसी भी अधिनियम या आदेश की समीक्षा कर सकता है।

- यदि उसमें संविधान का उल्लंघन (ultra-vires) पाया जाता है, तो उसे अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (शून्य) घोषित माना जाएगा।

- **जनहित याचिका (PIL):** मानवाधिकारों, समानता या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिये कानून का उपयोग
 - किसी कानून या अधिनियम में अपरिभाषित
 - **उत्पत्ति:** मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई, 1976
 - **जनहित याचिका के तहत कुछ मामले:**

- बंधुआ मज़दूरी का मामला
- उपेक्षित बच्चे
- महिलाओं पर अत्याचार
- पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी

- **उपचारात्मक याचिका:** अंतिम उपचार, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय खारिज की गई समीक्षा याचिका पर पुनर्विचार कर सकता है
 - **उत्पत्ति:** रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामला, 2002
 - **उद्देश्य:**

- घोर अन्याय को सुधारने हेतु
- कानूनी प्रक्रियाओं के किसी भी दुरुपयोग को कम करना
- तुच्छ मुकदमेबाजी (Frivolous litigation) को रोकने के लिये केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही इस पर विचार किया जाता है

सांविधानिक याचिकाएँ

- **मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131):**
 - सर्वोच्च न्यायालय के पास राज्यों के बीच या राज्यों तथा संघ के बीच विवादों के निर्णय करने का मूल क्षेत्राधिकार है
- **रिट क्षेत्राधिकार:** अनुच्छेद 32 और 226 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लागू
 - बंदी प्रत्यक्षीकरण
 - परमादेश
 - अधिकार-पृच्छा
 - प्रतिषेध*
 - उत्प्रेषण*
- **अपीलीय न्यायिक क्षेत्राधिकार:**
 - **संवैधानिक मामलों में अपील:** अनुच्छेद 132
 - **सिविल मामलों में अपील:** अनुच्छेद 133
 - **आपराधिक मामलों में अपील:** अनुच्छेद 134
 - **विशेष अनुमति याचिका:** अनुच्छेद 136 (एक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है)

सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143):

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को निम्न रूप में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिये अधिकृत करता है:

- विधि या सार्वजनिक महत्त्व के तथ्य का कोई भी प्रश्न - उठता है या उठने की संभावना है
- संविधान-पूर्व की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, वचनबंध या सनद का कोई विवाद

नोट: * इसका तात्पर्य है, कि यह केवल उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये उपयोग की जा सकती है।



Drishti IAS

और पढ़ें: [उपचारात्मक याचिका](#), [समीक्षा/पुनर्विचार याचिका](#), [जनहति याचिका](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/court-petitions>

